न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./156/2024

1. महावीर पुत्र भूरापूरी जाति गुसाई निवासीनागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अजयसिंह पुत्र चन्द्रदेव राठौड़ जाति राजपूत निवासी 75 हरी मार्ग सिविल लाइन जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–21.01.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवकुमार जोशी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 572 में दर्ज खसरा नम्बर 2135 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 3606/1035 रकबा 0.1360, खसरा नम्बर 3612/1981 रकबा 0.17, खसरा नम्बर 3622/3108 रकबा 0.4550, खसरा नम्बर 3626/1050 रकबा 0.0125, खसरा नम्बर 3630/1051 रकबा 0.0125, खसरा नम्बर 3633/3109 रकबा 0.1762, खसरा नम्बर 3637/2131 रकबा 0.0255 और खसरा नम्बर 3640/2134 रकबा 0.0605 कुल किता 09 कुल रकबा 1.1482 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर, प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट, पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पैश नहीं करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। वकील प्रार्थी से एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम मथानियां के खाता संख्या 572 संवत 2072–2075(जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (कैकड़ी) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 572 में दर्ज खसरा नम्बर 2135 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 3606/1035 रकबा 0.1360, खसरा नम्बर 3612/1981 रकबा 0.17, खसरा नम्बर 3622/3108 रकबा 0.4550, खसरा नम्बर 3626/1050 रकबा 0.0125, खसरा नम्बर 3630/1051 रकबा 0.0125, खसरा नम्बर 3633/3109 रकबा 0.1762, खसरा नम्बर 3637/2131 रकबा 0.0255 और खसरा नम्बर 3640/2134 रकबा 0.0605 कुल किता 09 कुल रकबा 1.1482 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (अजमेर)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर